संख्या– 67 /आठ–2–14–11मा.का.यो./13

प्रेषक,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

2– उपाध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक–27 जनवरी, 2014

विषय– मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना विगत वर्ष 2008 में प्रारम्भ की गयी थी। इस हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद व प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया था। तदक्रम में प्रथम चरण व द्वितीय चरण के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में तृतीय चरण के अन्तर्गत कार्य समापन की ओर है।

2– अवगत हैं कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–1088/आठ–2–2012–247सा0/08 टी0सी0–1 दिनांक 28 मई, 2012 द्वारा मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण व तृतीय चरण के अन्तर्गत जो भी आंशिक कार्य अवशेष रह गये हैं उन्हें आगामी दिनांक 15 फरवरी, 2014 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराकर दिनांक 16 फरवरी, 2014 को शासन/आवास–बन्धु को अनुपालन आख्या प्रेषित करें तथा मद में अप्रयुक्त अवशेष रह गयी धनराशि को तत्काल कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

4– अतएव इस सम्बन्ध में सभी अभिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 16 फरवरी, 2014 को इस आशय का प्रमाण पत्र, शासन/आवास बन्धु को प्रेषित किया जाना

सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास, इस मद में अब कोई शासकीय धनराशि अवशेष नहीं रह गयी है।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सदा कान्त
प्रमुख सचिव।

संख्या– 67(1)/ आठ–2–14, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्त आदेशों के अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, आवास बन्धु को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को आवास विभाग के बेवसाइट पर अपलोड कराते हुए समस्त संबंधितों को ई.मेल/फैक्स के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा संकलित अनुपालन आख्या शासन को दिनांक 16 फरवरी, 2014 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4– आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर)
संयुक्त सचिव